<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

श्रवणसिंह राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार भोपालगढ)

सू.अ.अ. अपील संख्या 153/2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>27-06-2022</td><td>अपीलार्थी श्रवणसिंह राठौड़, निवासी ग्राम बिरामी, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.04..2022 में (1) राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के अनुसार गाव बिराणी ग्राम पंचायत बिराणी से संबंधित धारा 169 के तहत परिभाषित सभी गोचर भूमि गावं बिराणी की जानकारी व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 192 दिनांक 17.06.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी इस कार्यालय के पत्र कमांक/रीडर/2022/189 दिनांक 13.06.22 के जरिये आवेदक को बिन्दु संख्या–1 से संबंधित सूचना (ग्राम बिराणी की गोचर भूमि की जानकारी) भेज दी गई तथा बिन्दु सं0 2 से 4 में चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने की जानकारी दी गई। अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।
चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपील दायर करने के पश्चात् अपीलार्थी/प्रार्थी को बिन्दु सं0–1 से संबंधित सूचना प्रेषित की गई तथा बिन्दु संख्या 2 से 4 तक से संबंधित सूचना ग्राम पंचायत बिराणी से संबंधित होने के उपरान्त भी विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित नहीं किया गया, जो खेदजनक है तथा विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है। अतः तहसीलदार भोपालगढ को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधिक प्रावधानों के तहत नियत अवधि में करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।</td><td></td></tr>
</table>